नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम जारी हुये

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैलाशचन्द बनाम दुर्गाप्रसाद्को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु. – 69/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
17-10-22	वकील वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी में वादी कैलाशचन्द व वादी गवाह में सुआराम पु. नरसिंह के लिखित शुदा शपथ पत्र पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 02-11-2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	कै.वा.1, ... सु०आराम ...
02.11.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण ने आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने बहस सुनी जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। वकील वादीगण के निवेदन एंव वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 17.11.2022 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर)	
17.11.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलांय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत इस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर निर्णीत किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 17/11/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
69 / 2022	2022 / 162	27.05.2022	17.11.2022

उनवान प्रकरण

1 कैलाशचन्द्र पुत्र नाथूराम उम्र 53 साल

2 सीताराम पुत्र बाबूलाल पौत्र नाथूराम उम्र 28 साल

समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—वादीगण

बनाम्

1. दुर्गाप्रसाद पुत्र नाथूराम उम्र 70 साल
2. गिरधारीलाल पुत्र नाथूराम उम्र 56 साल
3. फूलचन्द पुत्र नाथूराम उम्र 54 साल
4. सुरेश पुत्र सुवालाल पौत्र नाथूराम उम्र 50 साल
5. मदनलाल पुत्र सुवालाल पौत्र नाथूराम उम्र 42 साल
6. प्रकाशचन्द्र पुत्र अर्जुनलाल पौत्र नाथूराम उम्र 42 साल
7. मुकेश पुत्र अर्जुनलाल पौत्र नाथूराम उम्र 38 साल
8. महेन्द्र पुत्र अर्जुनलाल पौत्र नाथूराम उम्र 36 साल
9. विकास कुमार पुत्र बंशीधर पौत्र नाथूराम उम्र 26 साल
10. सागरमल पुत्र बंशीधर पौत्र नाथूराम उम्र 24 साल

समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

11. कमला पुत्री सुवालाल उम्र 44 साल
12. गीता देवी पत्नी स्व. बाबूलाल उम्र 51 साल

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:58 IST
Reason: SelfAttested

17/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

13. दड़की पुत्री नाथूराम उम्र 72 साल

14. नारायणी देवी पत्नी बंशीधर उम्र 54 साल

15. बिमला पुत्री सुवालाल उम्र 46 वर्ष

16. मंजू पुत्री नाथूराम उम्र 49 साल

17. मिश्री देवी पत्नी सुवालाल उम्र 68 साल

18. मोहनी देवी पत्नी अर्जुनलाल उम्र 65 साल

19. सावित्री पुत्री बंशीधर उम्र 26 साल

समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

20. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

----प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थितः–

श्री भारत भूषण सामोता, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री अमर शर्मा, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 19 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 20 की ओर।

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955?

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 377, 378, 380, 381 कुल किता 4 कुल रकबा 0.9300 है0 तन ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 1 एवं हिस्सा 1/2 मृतक सुवाराम पुत्र नाथूराम के नाम दर्ज है। कृषि भूमि ख0 न0 152 रकबा 0.6200 है0 तन ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:58 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

मृतक अर्जुनलाल पुत्र नाथूराम व मृतक बंशीधर पुत्र नाथूराम व मृतक सुवालाल पुत्र नाथूराम के नाम दर्ज है। कृषि भूमि ख0 न0 155 रकबा 1.5200 है0 तन ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 19 के नाम दर्ज है। उक्त सजरा खानदान के अनुसार कृषि भूमियां वर्णित मद संख्या–1 ता 3 वादपत्र में पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 19 की पैत्रिक कृषि भूमियां है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 10 हिस्सानुसार 1/8 हिस्सा पर वादी संख्या–1 एवं 1/8 हिस्सा पर वादी संख्या–2 एवं 1/8 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या–1 एवं 1/8 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या–2 एवं 1/8 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या–3 एवं 1/16 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या–4 एवं 1/16 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या–5 एवं 1/24 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या–6 एवं 1/24 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या–7 एवं 1/24 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या–8 एवं 1/16 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या–9 एवं 1/16 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या–10 काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए वादीगण उक्तानुसार भूमियो की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नही है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार भूयिमों की खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 05.02.2022 को इंकार हो गये एवं वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी है। इसलिए माननीय न्यायालय में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने प्रस्तुत दावा पेश कर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर घोषणा कराना चाहते है कि तन् ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 377, 378, 380, 381 कुल किता 4 कुल रकबा 0.9300 है0 एंव ख0 न0 152 रकबा 0.6300 है0 एंव ख0 न0 155 रकबा 1.5200 है0 वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 10 के नाम क्रमशः 1/8 हिस्सा का वादी संख्या–1 एवं 1/8 हिस्सा का वादी संख्या–2 को एवं 1/8 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–1 को एवं 1/8 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–2 को एवं 1/8 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–3 को एवं 1/16 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–4 को एवं 1/16 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–5

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:58 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

को एवं 1/24 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–6 को एवं 1/24 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–7 को एवं 1/24 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–8 को एवं 1/16 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–9 को एवं 1/16 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–10 को काबिज खातदेार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 10 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे एवं उक्त भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या–11 ता 19 एवं मृतक सुवाराम पुत्र नाथूराम एवं मृतक अर्जुनलाल, बंशीधर, सुवालाल पुत्रगण नाथूराम का नाम हजफ किये जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने कि वे वादीगण की हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत नही करे, ना ही बेदखल करे, ना ही दिगर से करावे। वादीगण ने उक्त वाद वास्ते इस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5, 10 लगायत 19 की ओर से श्री अमर शर्मा, एड0 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 9 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किये गये। शेष प्रतिवादी संख्या 20 की सम्मन तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 20 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। साक्ष्य वादीगण में वादी कैलाशचन्द्र व वादी साक्ष्य गवाह में सुण्डाराम पुत्र नरसिंह के लिखित शुदा शपथ पत्र पेश हुए। वकील वादीगण ने वादग्रस्त आराजी भूमियों के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा व इकबाली जवाब दावा पेश कर वादपत्र को स्वीकार कर लिये जाने से बरूए राजीनामा वादपत्र को स्वीकार कर डिक्री किये जाने हेतु आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का अन्तिम निस्तारण किये जाने का निवेदन वकील वादीगण द्वारा किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने प्रकरण में बहस सुनी जाने बाबत सहमति व्यक्त की। वकील वादीगण के निवेदन एवं वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:58 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहुपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादीगण के मृत्तक पूर्वजों के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिससे वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार खानदान से होकर उक्त भूमियॉं पैत्रक भूमियॉं होना सिद्ध होता है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा व इकबाली जवाब दावा पेश कर वादपत्र को स्वीकार किया है। जिसके आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में तस्दीक कराये गये राजीनामा, इकबाली जवाब दावा एंव दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत इस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा को बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन् ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 377, 378, 380, 381 कुल किता 4 कुल रकबा 0.9300 है0 एंव ख0 न0 152 रकबा 0.6200 है0 एंव ख0 न0 155 रकबा 1.5200 है0 का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 10 को [illegible] संख्या–1 को एवं 1/8 हिस्सा का वादी संख्या–2 को एवं [illegible] को एवं 1/8 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–2 को एवं 1[illegible] संख्या–3 को एवं 1/16 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–4 को एवं 1/16 हिस्सा का प्रति[illegible] संख्या–5 को एवं 1/24 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–6 को एवं 1/24 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–7 को एवं 1/24 हिस्सा

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:58 IST
Reason: SelfAttested

का प्रतिवादी संख्या–8 को एवं 1/16 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–9 को एवं 1/16 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–10 को काबिज खातदेार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 10 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है एवं उक्त भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या– 11 ता 19 एवं मृतक सुवाराम पुत्र नाथूराम एवं मृतक अर्जुनलाल, बंशीधर, सुवालाल पुत्रगण नाथूराम का नाम हजफ किये जाने की अनुमति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत नही करे, ना ही बेदखल करे, ना ही दिगर से करावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। राजीनामा को डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:58 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)